



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 08.09.2025

1.थाना दादरी पुलिस द्वारा पटाखे बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से करीब 1500 किलोग्राम सामग्री जिसमें निर्मित/अर्द्धनिर्मित पटाखे, पटाखे बनाने की सामग्री व उपकरण बरामदा

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 08.09.2025 को थाना दादरी पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम बोडाकी में निर्माणाधीन मकान में पटाखे बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए 03 अभियुक्त 1. रामलखन पुत्र रामकुमार 2. आजाद पुत्र शौकीन 3. राजेन्द्र पुत्र डेहुगा को गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्तों के कब्जे से 1004 किलोग्राम निर्मित पटाखा (अनार), 100 बोरी (नलकी) पटाखा (अनार बनाने की), 53.6 किलोग्राम मैग्नीशियम पाउडर, 74.8 किलोग्राम स्मैक लेस पाउडर, 68.4 किलोग्राम कटन पाउडर, 37.9 किलोग्राम टीआई पाउडर, 29.4 किलोग्राम द्रव्य पदार्थ (सिल्लीकेट 01 कैन), 28.3 किलोग्राम गोंद (01 छोटा ड्रम), 12.6 किलोग्राम डब्ल्यू पाउडर, 10 किलोग्राम पीओपी पाउडर, 10 किलोग्राम फेविकॉल (02 बाल्टी), 06 दाब मशीन (तली में रेत व फेविकॉल का दवाब बनाकर पैक करने वाली), 01 इलेक्ट्रॉनिक दाब मशीन मय मोटर, 01 स्प्रे मशीन, 01 इलेक्ट्रिक कांटा, 05 टेप कटर, 07 हथौड़ी, 02 मिसल, 01 धुरमुट, 03 बण्डल डेटोनेटर तार, 01 कार्टून सफेद टेप, 01 कार्टून पारदर्शी टेप, 09 कट्टे/बोरी लाल मिट्टी, 05 बोरी गत्ता (पैकिंग के लिए), 02 कार्टून लेवल (पटाखा पर लगाने के लिए), 02 खाली ड्रम प्लास्टिक, 02 ड्रम गत्ता, 03 छोटे ड्रम गत्ता, 03 टब प्लास्टिक, 02 क्रेट प्लास्टिक, 01 मूढा (बैठने का) व 01 पटली (बैठने की) बरामद की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. रामलखन पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम भनैडा खुर्द, थाना टीला मोड़, गाजियाबाद, उम्र 33 वर्ष।
2. आजाद पुत्र शौकीन निवासी ग्राम फरकनगर, थाना टीला मोड़, गाजियाबाद, उम्र 20 वर्ष।
3. राजेन्द्र पुत्र डेहुगा निवासी ग्राम चकरिया, थाना बेहडा, बहराइच, उम्र 19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0- 477/2025 धारा 5/9B विस्फोटक अधिनियम, थाना दादरी, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 1004 किलोग्राम निर्मित पटाखा (अनार)
2. 100 बोरी नलकी पटाखा(अनार बनाने की)

3. 53.6 किलोग्राम मैग्नीशियम पाउडर
4. 74.8 किलोग्राम स्मैक लेस पाउडर
5. 68.4 किलोग्राम कटन पाउडर
6. 37.9 किलोग्राम टीआई पाउडर
7. 29.4 किलोग्राम द्रव्य पदार्थ (सिल्लीकेट 01 कैन)
8. 28.3 किलोग्राम गोंद (01 छोटा ड्रम)
9. 12.6 किलोग्राम डब्ल्यू पाउडर
- 10.10 किलोग्राम पीओपी पाउडर
- 11.10 किलोग्राम फेविकॉल (02 बाल्टी)
- 12.06 दाब मशीन (तली में रेत व फेविकॉल का दवाब बनाकर पैक करने वाली)
- 13.01 इलेक्ट्रॉनिक दाब मशीन मय मोटर
- 14.01 स्प्रे मशीन
- 15.01 इलेक्ट्रिक कांटा
- 16.05 टेप कटर
- 17.07 हथौड़ी
- 18.02 मिसल
- 19.01 धुरमुट
- 20.03 बण्डल डेटोनेटर तार
- 21.01 कार्टून सफेद टेप
- 22.01 कार्टून पारदर्शी टेप
- 23.09 कट्टे/बोरी लाल मिट्टी
- 24.05 बोरी गत्ता (पैकिंग के लिए)
- 25.02 कार्टून लेवल (पटाखा पर लगाने के लिए)
- 26.02 खाली ड्रम प्लास्टिक
- 27.02 ड्रम गत्ता
- 28.03 छोटे ड्रम गत्ता
- 29.03 टब प्लास्टिक
- 30.02 क्रेट प्लास्टिक
- 31.01 मूढा (बैठने का)
- 32.01 पटली (बैठने की)

2.थाना सेक्टर-142 पुलिस द्वारा चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किए गए 50 अमेरिकी डॉलर व अवैध शस्त्र बरामदा

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 08.09.2025 को थाना सेक्टर-142 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से चोरी करने वाले 03 अभियुक्त 1. कार्तिक भाटिया पुत्र स्व0 विजय भाटिया 2. विजय प्रजापति पुत्र रामवचन प्रजापति 3.विशाल प्रजापति पुत्र रामशब्द प्रजापति को एफएनजी रोड क्रासा कट के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किए गए 50 अमेरिकी डॉलर, अभियुक्त कार्तिक भाटिया के कब्जे से 01 तमंचा, 02 कारतूस .315 बोर, अभियुक्त विजय प्रजापति व विशाल प्रजापति के कब्जे 01-01 अवैध चाकू बरामद किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 25.08.2025 को सेक्टर-142 मेट्रो स्टेशन के नीचे अभियुक्तों द्वारा वादी को अपनी गाड़ी में बैठाकर टूर-पैकेज की बात करने के लिए बैठाया गया व बातचीत के दौरान वादी के बैग में रखे पर्स (जिसमें 20 हजार रुपए, 70 अमेरिकी डॉलर व अन्य कागजात) को चोरी कर लिया गया था। जिसके संबंध में थाना सेक्टर-142 पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों द्वारा शेष रुपए खर्च कर दिए गए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. कार्तिक भाटिया पुत्र स्व0 विजय भाटिया निवासी सेक्टर-121, थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 24 वर्ष।
2. विजय प्रजापति पुत्र रामवचन प्रजापति निवासी ग्राम दुसवाबार, थाना बांसगाँव, गौरखपुर वर्तमान पता श्रीराम अपार्टमेन्ट, थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 25 वर्ष।
3. विशाल प्रजापति पुत्र रामशब्द प्रजापति निवासी ग्राम दुसवाबार, थाना बांसगाँव, गौरखपुर वर्तमान पता ग्राम तिगरी चिपयाना खुर्द, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 24 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0- 170/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-142, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 50 अमेरिकी डॉलर।
2. 01 तमंचा, 02 कारतूस .315 बोर।
3. 02 अवैध चाकू।